



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229507  
CG-DL-E-09092021-229507

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]  
No. 386]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(79)/2019 (पी-770).—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, -

(क) विनियम 5, उप-विनियम 6 में, -

(क) खंड (ख) में,-

(i) उप-खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(i) संस्था ने या तो हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइनों का निर्माण किया है जिनकी कुल लंबाई तीन सौ किलोमीटर से कम नहीं है या जो स्वयं या जिसे परिसंघ भागीदारों में से एक के रूप में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया था; या";

(ii) उप-खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) संस्था किसी अन्य कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम है (उस संस्था द्वारा कम से कम ग्यारह प्रतिशत इक्विटी धारिता के साथ) जिसने या तो हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइनों का निर्माण किया है, जिनकी लंबाई तीन सौ किलोमीटर से कम नहीं है या संस्था किसी अन्य संस्था के साथ एक संयुक्त उद्यम है (उस संस्था द्वारा कम से कम ग्यारह प्रतिशत इक्विटी धारिता के साथ) जिसे स्वयं या परिसंघ भागीदारों में से एक को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया था;

(iii) उप-खंड (iii) और उप-खंड(iv) को लोप किया जाएगा;

(ख) विनियम 5, उप-विनियम 6, खंड (च) में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"ऐसी पंजीकृत संस्था विनियम 5(6)(ड.) के अनुसार उस कंपनी के तहत भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का पालन करेगी।";

(ख) विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में -

(i) खंड (क) में, परंतुक में, "बशर्ते कि" शब्दों के साथ शुरू होने और निम्नानुसार-" शब्दों" और "डैश के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकूला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और उत्तर दिनाजपुर जिलों, (v) नैनीताल व बिजनौर जिलों, (vi) पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल जिलों, (vii) पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली व बागेश्वर जिलों, (viii) मंडी, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल व स्पीति जिलों, (ix) कांगड़ा व चंबा जिलों तथा (x) जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, सांबा व कठुआ जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में स्टील पाइपों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है। तथापि, प्राकृतिक गैस को सभी चार्ज एरिया में पहुंचाना है। तदनुसार, बोली लगाने के मापदंड और उनके संबंधित अधिमान निम्नानुसार होंगे-";

(ii) खंड (ख) में, परंतुक में, "बशर्ते कि" शब्दों के साथ शुरू होने, और "निम्नानुसार-" शब्दों और डैश के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकूला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलां, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और उत्तर दिनाजपुर जिलों, (v) नैनीताल और बिजनौर जिलों, (vi) पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों, (vii) पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर जिलों, (viii) मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति जिलों, (ix) कांगड़ा और चंबा जिलों और (x) जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, सांबा और कठुआ जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, सफल बोलीदाता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10 अनुबंध वर्षों के भीतर वर्ष-वार कार्य क्रमादेश/योजना प्राप्त करना आवश्यक होगा, अर्थात्:-"

(ग) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि सफल संस्था, जिसे विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना होगा, प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध पीबीजी प्रस्तुत करनी होगी और ऐसे मामले में, पीबीजी का नवीकरण उसकी समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले, आगे की तीन वर्ष की अवधि, और प्राधिकृतीकरण की अवधि तक किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:** यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्य क्रमादेश/योजना की 100% उपलब्धि के बाद या सामान्य वाहक या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता की समाप्ति पर जो भी बाद में होगा, पीबीजी के मूल्य में प्रारंभिक पीबीजी के 40% तक कमी सभी प्राधिकृत संस्थाओं पर लागू होगी भले ही प्राधिकार का वर्ष कुछ भी हो।";

(घ) विनियम 10, उप-विनियम (3) में, दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"बशर्ते कि बोर्ड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था से उसकी मूल कंपनी को प्राधिकार हस्तांतरित करना भी स्वीकार कर सकता है।"

(ड.) विनियम 11 में, -

(i) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अधिकृत संस्था प्राधिकार के अनुदान की तारीख से दो सौ सत्तर दिनों की अवधि के भीतर परियोजना का वित्तीय समापन प्राप्त करेगी।

(iii) उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) संस्था वित्तीय समापन प्राप्ति की स्वीकृति के लिए बोर्ड को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:-

(क) परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (इसके बाद डीएफआर के रूप में संदर्भित), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की घटक-वार विस्तृत लागत, वर्ष-वार चरणबद्धता, वित्तपोषण योजना और ऐसे उद्देश्य के लिए संस्था के निदेशक मंडल का अनुमोदन शामिल है;

(ख) परियोजना लागत को इक्विटी पूंजी द्वारा वित्त-पोषित किए जाने की योजना के संबंध में, (i) अधिकृत संस्था के निदेशक मंडल का संकल्प, (ii) परियोजना के लिए इक्विटी वित्तपोषण का निवेश करने वाली प्रमोटर कंपनी के निदेशक मंडल का संकल्प, (iii) इक्विटी या किसी अन्य निधि से निश्चित प्रतिबद्धता पत्र, यदि परियोजना को ऐसी निधि से वित्त-पोषित करने का प्रस्ताव है, और (iv) गैर-कंपनी प्रमोटर के मामले में, डीएफआर में प्रस्तावित इक्विटी वित्त-पोषण के चरणबद्ध स्रोत के अनुसार परियोजना के लिए इक्विटी वित्त-पोषण की निवेश प्रतिबद्धता वाला पत्र;

(ग) उधार द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली परियोजना लागत के संबंध में, (i) बैंकों या वित्तीय संस्थानों या अन्य ऋणदाता से निश्चित मंजूरी आदेश, (ii) अधिकृत संस्था और प्रमोटर या संधिबद्ध या निदेशक(कों) या ऋणदाता, जैसा मामला हो, के बीच ऋण के माध्यम से वित्तपोषण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ऋण समझौता;

(घ) अधिकृत संस्था के भौगोलिक क्षेत्र या अन्य गतिविधियों के आंतरिक उपार्जन से वित्त-पोषित किए जाने की योजना के संबंध में, प्रस्तावित वित्त पोषण की अवधि के लिए अधिकृत संस्था के भौगोलिक क्षेत्र या अन्य गतिविधियों के वर्षवार अनुमानित नकदी प्रवाह, और;

(ड.) कोई अन्य दस्तावेज जो संस्था द्वारा संगत माना जाए।";

(iv) उप-विनियम (5) में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते आगे यह कि इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि संस्था द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारण उसके नियंत्रण से परे हैं, बोर्ड 270 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्ति में जैसा कि उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट है विलंब को माफ कर सकता है। यह प्रमाण देना संस्था की जिम्मेदारी होगी कि कारण उसके नियंत्रण से परे हैं। इसके अलावा, ऐसी कोई भी माफी किसी भी एक अवसर पर 60 दिनों से अधिक समय तक के लिए नहीं होगी जिसके बाद की अवधि के लिए संस्था को आगे अनुरोध पर विचार करने के लिए बोर्ड से पुनः संपर्क करना होगा।

(च) विनियम 12 में, उप-विनियम (2) में, -

(i) तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्;

"बशर्ते कि उन भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में जहां बोली में प्राकृतिक गैस का निर्दिष्ट स्रोत एलएनजी टर्मिनल सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से भिन्न है, तीसरा परंतुक लागू नहीं होगा।";

(ii) "स्पष्टीकरण" को "स्पष्टीकरण 1" संख्या दी जाएगी, और स्पष्टीकरण के बाद इस प्रकार दी गई संख्या को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण 2: इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, सीजीडी नेटवर्क की तत्परता का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी होगा, अर्थात्:-

(क) अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कम से कम एक सीएनजी स्टेशन का संचालन, या

(ख) सिटी गेट स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि की खरीद, या

(ग) पहले वर्ष के लिए एमडब्ल्यूपी लक्ष्य के कम से कम 10% की सीमा तक स्टील पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करना, या

(घ) एमडीपीई पाइपलाइन बिछाने का कार्य पहले वर्ष के लिए स्टील पाइपलाइन के एमडब्ल्यूपी लक्ष्य के कम से कम 50% तक पूरा करना।

**टिप्पणी: स्पष्टीकरण 2 यह बोली या प्राधिकार वर्ष का विचार किए बिना सभी अधिकृत संस्थाओं पर लागू होगा";**

(छ) विनियम 13 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1) " एक अधिकृत संस्था, मासिक और वार्षिक आधार पर, प्राप्त स्वीकृतियों, प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, कार्य-प्रगति और ऐसे उद्देश्य के लिए अनुसूची ड. में दिए गए प्रारूपों में अन्य संगत जानकारी का व्यौरा देने वाली प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी।"-

(ज) विनियम 14 में, -

(i) उप-विनियम (10) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

(10) " एक अधिकृत संस्था चालू होने के बाद ऐसे उद्देश्य के लिए अनुसूची ड. में दिए गए प्रारूपों में सूचना प्रदान करना जारी रखेगी।

(झ) विनियम 16 में, उप विनियम (6)के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकार को समाप्त करने की प्रक्रिया अनुसूची छ में किए गए प्रावधान के अनुसार की जाएगी।";

(ञ) अनुसूची ग(1) में, परंतुक में, "बशर्ते कि" शब्द के साथ शुरू होने वाले और "निम्नलिखित-" शब्द और डैश के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात्:-

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकूला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और उत्तर दिनाजपुर जिलों, (v) नैनीताल और बिजनौर जिलों, (vi) पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों, (vii) पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली व बागेश्वर जिलों, (viii) मंडी, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल व स्पीति जिलों, (ix) कांगड़ा व चंबा जिलों तथा (x) जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, सांबा व कठुआ जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, तीनों संस्थाओं के समग्र स्कोर की गणना नीचे दिए गए अनुसार प्रत्येक बोली मानदंड को सौंपे गए संबंधित प्रभाव को समनुदेशित करके की जाएगी - "।

(ट) अनुसूची घ में, निबंधन एवं शर्त सं. 3 में, 10 वर्षों के भीतर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम की उपलब्धि की समय-सीमा से संबंधित तीसरे पैरा में, "वैकल्पिक रूप से" शब्द से शुरू होने वाले और "अर्थात्:-" शब्द और कॉलम डैश के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"वैकल्पिक रूप से,

(i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों (ii) पंचकूला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिले (iii) बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिले (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुडी व उत्तर दिनाजपुर जिले, (v) नैनीताल व बिजनौर जिले, (vi) पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल जिले, (vii) पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली व बागेश्वर जिले, (viii) मंडी, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल व स्पीति जिले, (ix) कांगड़ा और चंबा जिलों और (x) जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, सांबा और कठुआ जिलों भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, संस्था को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10 अनुबंध वर्षों के भीतर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम पूरा करना आवश्यक होगा, अर्थात्:-"

(ड.) अनुसूची ड. में, -

(i) खंड क और ख के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"क: अधिकृत संस्था प्रारूपों ड.1, ड.2, ड.3, ड.4 और ड.5 में नीचे दिए गए अनुसार रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी,

ड.1 (मासिक) - पीएनजी कनेक्शन और बिक्री (जिला-वार) ;

ड.2 (मासिक) - सीएनजी स्टेशनों और बिक्री (कि.ग्रा. और एससीएम) के आंकड़े;

ड.3 (मासिक) - बुनियादी ढांचा डेटा (पाइपलाइन और सीजीएस);

ड.4 (मासिक) - पीएनजी और सीएनजी का मूल्य व्यौरा;

ड.5 (वार्षिक) – वित्तीय मापदंड

ख: रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा: संस्था जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के प्रत्येक महीने के लिए अगले माह की 20 तारीख तक, तथा मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर (प्रत्येक समाप्त तिमाही) के अगले माह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संस्था द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सही आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) मौजूदा टिप्पणी के लिए खंड ड. के अंत में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"टिप्पण 1: बोर्ड को किसी भी समय संस्था द्वारा अनुपालन से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, किसी संस्था से कोई भी सूचना या डेटा, जैसा वह उचित समझे, प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पण 2: यह स्पष्ट किया जाता है कि तकनीकी कारणों से, ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली को लागू करते समय विभिन्न प्रारूपों में मांगी गई जानकारी को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित करना पड़ सकता है।

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित टिप्पण 2 की समाप्ति के मौजूदा रिपोर्ट प्रारूपों (ड11ख को छोड़कर) के लिए, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रारूपों ड.1, ड.2, ड.3 और ड.4 को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसके बाद मौजूदा प्रारूप ड.1ख की संख्या को ड 5 के रूप में फिर से लिखा जाएगा, अर्थात्:-

ड 1:

अनुसूची ड.: प्रारूप: ड.1 (सीजीडी)	पीएनजी कनेक्शन और बिक्री पर मासिक रिपोर्ट					
पीएनजी कनेक्शन का प्रकार	कनेक्शन की संख्या (जिला-वार)			बिक्री (एससीएम) (जिला-वार)		
	पिछले माह को	चालू माह के लिए	संचयी (स्थापना बाद से) के	पिछले माह को	चालू माह के लिए	संचयी (वित्तीय वर्ष)
घरेलू						
वाणिज्यिक						
औद्योगिक						
कुल						
पीएनजी घरेलू कनेक्शन – भौगोलिक क्षेत्र के लिए						
चालू माह के निर्धारित लक्ष्य	वर्तमान माह के रूप में संचयी				कमी (%)	

कनेक्शनों (घरेलू ग्राहकों) के लिए लंबित पीएनजी पंजीकरण – भौगोलिक क्षेत्र-वार	
0-30 दिन	
31-60 दिन	
61-90 दिन	
90 से अधिक दिन	
चालू माह के लिए कुल लंबित पीएनजी पंजीकरण	

ड.2:

अनुसूची ड.: प्रारूप: ड.2 (सीजीडी)		सीएनजी स्टेशन और बिक्री पर मासिक रिपोर्ट				
माह और वर्ष के रूप में	सीएनजी स्टेशन (सं.)	संपीडन क्षमता (कि.ग्रा./दिन)	वर्तमान माह के लिए		वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संचयी	
			कि.ग्रा.	एससीएम	कि.ग्रा.	एससीएम
लक्ष्य						
उपलब्धि						
कमी (%)						
सीएनजी स्टेशन कोड/ संख्या						
सीएनजी स्टेशन का नाम और स्थिति						
चालू होने की तारीख						
सीएनजी स्टेशन का पूरा पता						
जिला		प्रभार क्षेत्र				
अक्षांश और देशांतर						
सीएनजी स्टेशन का स्थान						
सीएनजी स्टेशन का प्रकार						
सीएनजी स्टेशन का मॉडल						
के माध्यम से संचालित						
ओएमसी का नाम						
संपीडन क्षमता (कि.ग्रा./24 घंटे)						
कंप्रेसर/ बूस्टर की संख्या						
डिस्पेंसिंग यूनिटों की संख्या						

सीएनजी स्टेशन कोड	प्राकृतिक गैस की विक्री (कि.ग्रा.)	रूपांतरण कारक	प्राकृतिक गैस की विक्री (एससीएम)
सीएनजी स्टेशन 1			
सीएनजी स्टेशन 2			
सीएनजी स्टेशन 3			
सीएनजी स्टेशन 4			
आदि			
कुल (विक्री)			

ड3:

अनुसूची ड.: प्रारूप: (सीजीडी)	पाइपलाइन अवसंरचना और नगर गेट स्टेशन (सीजीएस) पर मासिक रिपोर्ट					
	इस्पात (जिला-वार)			एमडीपीई (जिला-वार)		
यूनिट □	इंच (व्यास)	कि.मी. (लंबाई)	इंच- कि.मी.	इंच (व्यास)	कि.मी. (लंबाई)	इंच-कि.मी.
पिछले महीने को	-			-		
चालू माह के लिए	व्यास 1			व्यास 1		
	व्यास 2			व्यास 2		
	व्यास 3 आदि			व्यास 3 आदि		
वर्तमान माह के रूप में संचयी	कुल			-		
स्टील पाइपलाइन (लागू अनुसार) – भौगोलिक क्षेत्र			स्टील और एमडीपीई पाइपलाइन (लागू अनुसार) – भौगोलिक क्षेत्र			
लक्ष्य	संचयी	कमी	लक्ष्य	संचयी	कमी	
अवसंरचना – नगर गेट स्टेशन (सीजीएस)						
देशांतर, अक्षांश सहित सीजीएस स्थान (पता)						

देशांतर, अक्षांश सहित टैप-ऑफ स्थान (पता)	
यदि टैप-ऑफ स्थान अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के बाहर है	
सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन (इंच-कि.मी.) का विवरण	
पाइपलाइन संस्था का नाम	
करार पर हस्ताक्षर की तारीख	
सीजीएस चालू होने की तारीख	
सीजीएस (एससीएमएच) की क्षमता	

## ड.4-

अनुसूची ड.:	पीएनजी और सीएनजी मूल्य पर मासिक रिपोर्ट
प्रारूप: ड.4 (सीजीडी)	
पीएनजी घरेलू (मूल्य) - (रुपए/एससीएम) - जिला/ राज्य-वार	
अंतिम मूल्य संशोधन (तिथि)	
शुल्क/ करों को छोड़कर खुदरा बिक्री मूल्य (₹/एससीएम)	
शुल्क/करों सहित खुदरा बिक्री मूल्य (₹/एससीएम)	
सीएनजी (मूल्य) - (रुपए/ कि.ग्रा.) - जिला/ राज्य-वार	
अंतिम मूल्य संशोधन (तिथि)	
शुल्क/करों को छोड़कर खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए/ कि.ग्रा.)	
शुल्क/करों सहित खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए/ कि.ग्रा.)	

यह कि बोर्ड इस संबंध में अन्य कोई सूचना मांग सकता है।"

(ड) अनुसूची छ में, शब्दों, आंकड़ों, कोष्ठक और अक्षर, "विनियम 16(1)(घ) देखें" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"विनियमन 16(7)" देखें"

(ड) अनुसूची ट के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" अनुसूची ट

[देखें विनियम 5(6)(ड.) और (झ)]

निवल मूल्य की गणना की कार्य-प्रणाली

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	निवल मूल्य गणना
1	कंपनी के मामले में	विधि 1 के अनुसार
2	सहकारी समिति के मामले में	विधि 1 के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित

3	संयुक्त उद्यम कंपनी के मामले में	उन प्रमोटर कंपनियों के समेकित निवल मूल्य (विधि 1 के अनुसार) पर विचार किया जाएगा जो परिशिष्ट III में निर्दिष्ट प्रारूप में अपनी कॉर्पोरेट गारंटी के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।
4	सहायक कंपनी के मामले में	धारिता कंपनी के समेकित निवल मूल्य पर विचार किया जाएगा (विधि 1 के अनुसार गणना की जानी है ), यदि उस धारिता कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है।
5	अन्य संस्थाएं	विधि 2 के अनुसार
6	अनिगमित परिसंघ या अनिगमित संयुक्त उद्यम	
	क) कंपनियां	विधि 1 के अनुसार
	ख) अन्य	गैर-कंपनी परिसंघ सदस्य के लिए विधि 2 के अनुसार और कंपनी परिसंघ सदस्य के लिए विधि 1 के अनुसार।
7	यदि कंपनी को व्यक्तिगत प्रमोटरों द्वारा पदोन्नत किया जाता है	कंपनी की निवल मूल्य की गणना विधि 1 के अनुसार की जाएगी। यदि व्यक्तिगत प्रमोटर द्वारा गारंटी दी जाती है, तो विधि 2 के अनुसार व्यक्तिगत प्रमोटर के निवल मूल्य को शामिल किया जाएगा और गणना की जाएगी।

### विधि 1 के तहत निवल मूल्य की गणना के लिए पद्धति:

निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (57) में परिभाषित अनुसार की जाएगी।

### विधि 2 के तहत निवल मूल्य की गणना के लिए कार्यप्रणाली:

निम्नलिखित आधार पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से अर्थात्:-

#### 1. आवेदक के नाम पर निवेश (विस्तृत सूची संलग्न की जाए)

(क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और उद्धृत प्रतिभूतियां

(i) .....को बाजार मूल्य

(ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट तारीख के अनुसार बाजार मूल्य पर 30% का मार्जिन;

(iii) उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का निवल मूल्य।

(ख) असूचिबद्ध प्रतिभूतियां

(i) .....को मूल्य (नीचे दिए गए टिप्पण 1 के अनुसार गणना की जाएगी)

(ii) उप खंड (i) के अनुसार मूल्य पर 50 प्रतिशत का मार्जिन;

(iii) उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट असूचिबद्ध प्रतिभूतियों का निवल मूल्य।

(ग) वर्तमान मूल्य पर अन्य निवेश जैसे पीपीएफ, एनएससी, बैंक जमा, कंपनी जमा और अन्य जमा राशि,;

(घ) कुल निवल निवेश = (क) (iii) + (ख) (iii) + (ग)

2. अचल परिसंपत्तियों की भूमि और भवन घटक (सर्वेक्षण संख्या, स्थान, पता, भूमि और भवन की सीमा जैसी परिसंपत्तियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए) और-

(i) बाजार मूल्य (नीचे टिप्पण 2 के अनुसार गणना की जानी है);

- (ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य पर 50% का मार्जिन;  
 (iii) उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट ऐसी निश्चित परिसंपत्तियों का निवल मूल्य।

3. बकाया देनदार जो 3 महीने से अधिक न हों + नकद और बैंक बकाया।  
 4. वर्तमान देनदारियां।  
 5. दीर्घावधि देनदारियां।  
 6. निवल मूल्य = 1(घ) + 2(iii) + 3 - (4+5)

#### टिप्पणः

- असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उक्त प्रतिभूतियों के "उचित मूल्य" पर होगा, अर्थात् "अलग-अलग मूल्य" और "अर्जन मूल्य" का औसत और इस उद्देश्य के लिए -
 

(क) "अलग-अलग मूल्य" का अर्थ है प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी एवं लाभ तथा आस्थगित व्यय और विविध व्यय द्वारा घटाए गए प्रतिभूति प्रीमियम खाते से सृजित सभी भंडार, संचित घाटे, आस्थगित व्यय और नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रक के अनुसार बट्टे खाते में नहीं डाले गए विविध व्यय, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित भंडार, मूल्यहास और समामेलन को पुनः दर्ज करना, निवेश करने वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजन शामिल नहीं है।

(ख) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है, कर के बाद मुनाफे के औसत को वरीयता लाभांश से घटाकर गणना किए गए इक्विटी शेयर का मूल्य जिसे तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए असाधारण और गैर-आवर्ती वस्तुओं में समायोजित किया जाता है, और आगे निवेश कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित और निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया जाता है, अर्थात्:-

  - मुख्य रूप से विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;
  - मुख्य रूप से व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत;
  - एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में बारह प्रतिशत; और
  - यदि कोई निवेश करने वाली कंपनी घाटे में चल रही कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य ली जाएगी।
- निवल मूल्य के उद्देश्य से नियत परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कंपनियों (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की तारीख को मूल्यांकन 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होगा। इसके अलावा, मूल्यांकन सर्किल दर तक सीमित होगा। केवल भूमि और भवन की उन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा जो संस्था या प्रोपराइटर के नाम पर हैं, उन्हें उपर्युक्त क्र.सं. 2 शीर्ष अर्थात् भूमि और अचल परिसंपत्तियों के निर्माण घटक के तहत शामिल किया जाएगा। वे संपत्तियां जो पट्टे पर ली जाती हैं, उन्हें निवल मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। निवल मूल्य की गणना के उद्देश्य से भूमि और भवन के अलावा अन्य अचल परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- निवेश, वर्तमान परिसंपत्तियों, वर्तमान देनदारियों और दीर्घकालिक देनदारियों वाली वस्तुओं का विवरण अलग से दिया जाएगा।
- वर्तमान परिसंपत्तियों में संबंधित संस्थाओं को ऋण, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और 3 महीने से अधिक के बकाया ऋण, पूंजीगत परिसंपत्तियों के खिलाफ अग्रिम, प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों, पूर्व प्रदत्त व्यय और अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- संपत्तियों का मूल्यांकन ऋण और अन्य बाधाएं, यदि कोई हों, के विवरण सहित निवल बाधा होगी। 'शून्य' बाधा सहित बाधा का विवरण, संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र देकर किया जाएगा।
- कंपनी में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड देयता भागीदारी (एलएलपी) शामिल हैं।

7. यदि बोलीदाता को इक्विटी फंड द्वारा समर्थित किया जाता है, तो इक्विटी फंड के प्रबंधन के तहत निवल मूल्य परिसंपत्तियों से कम होगा और कार्य कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए संस्था की सहायता करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज द्वारा सहायता राशि प्रस्तुत की जा जाएगी।
8. परिसंघ द्वारा प्रस्तुत बोली के मामले में, केवल उन परिसंघ सदस्यों के निवल मूल्य पर विचार किया जाएगा जिन..के परिसंघ में कम से कम 11% हिस्सेदारी है:

बशर्ते, जब परिसंघ को सीजीडी प्राधिकार से संबंधित विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खंड (च) द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक सदस्य की कंपनी में 11% से कम शेयरधारिता नहीं होनी चाहिए और सामान्य वाहक या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता तक कंपनी में 11% से कम शेयरधारिता नहीं होनी चाहिए।

9. यदि कोई संस्था एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बोली लगाती है और यदि बोर्ड द्वारा गणना की गई बोलीदाता का निवल मूल्य सीजीडी प्राधिकार से संबंधित विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खंड (ड.) के अनुसार आवश्यक संचयी निवल मूल्य से कम है, तो बोलीदाता को निम्नलिखित आदेश में कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के लिए योग्य माना जाएगा, जब तक कि बोलीदाता द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए:

संस्था द्वारा पहले सबसे घनी आबादी वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए बोली लगाई जाएगी।

इसके बाद, संस्था द्वारा भौगोलिक क्षेत्र पर लगाई गई बोली के क्रम में विचार किया जाएगा क्योंकि ये बोर्ड द्वारा प्रकाशित बोली के लिए खुली भौगोलिक क्षेत्र की सूची में दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते बोलीदाता का शेष निवल मूल्य अगले क्रमांक पर भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता से अधिक हो और बाद के क्रमांक पर भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता से अधिक हो और इसी प्रकार आगे विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक बोर्ड द्वारा गणना की गई बोलीदाता का निवल मूल्य उपलब्ध हो जाए।

10. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बोली के साथ प्रस्तुत किसी भी प्रमाण-पत्र पर तभी विचार किया जाएगा जब यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यूडीआईएन पोर्टल पर सृजित विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीन) के साथ हो।
11. अनिगमित परिसंघ द्वारा बोली लगाने के मामले में, प्रति निवेश या परिसंघ भागीदारों के बीच धारिता को निवल मूल्य मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।
12. यदि कंपनी से अलग किसी अन्य व्यक्ति की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निवल मूल्य मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो निवल प्रमाण-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए, कि निवल मूल्य प्रमाण-पत्र में विचार की गई सभी परिसंपत्तियां किसी भी बाधा, चार्ज, ग्रहणाधिकार और देयता से मुक्त हैं और उस व्यक्ति के स्वामित्व और पूर्ण नियंत्रण या कब्जे में हैं। जहां-कहीं भी कोई बाधा या चार्ज या ग्रहणाधिकार या देयता होती है, ऋण या देयता की बकाया राशि उस परिसंपत्ति के मूल्य से कम हो जाएगी जिस पर इस तरह के ऋण या देयता मौजूद है। इसके अलावा, निवल मूल्य की गणना करते समय, संस्था या किसी भी परिसंघ भागीदार के खिलाफ किसी भी आयकर मांग या देयता को भी परिसंपत्तियों से घटाया जाना चाहिए।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2021-22]

**पाद टिप्पणी:** मूल नियमों को अधिसूचित जी.एस.आर. 196(अ.), दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् जी.एस.आर. 800 (अ.) के माध्यम से संशोधित, दिनांक 19 नवंबर, 2008, जी.एस.आर. 295 (अ.) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जी.एस.आर. 478(अ.) दिनांक 7 जून, 2010, जी.एस.आर. 605 (अ.) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/समीक्षा-2011/2012-III, दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बिड/4/2013-बोली-पूर्व दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा.सं. एल-एमआईएससी/VII/2007, दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/संशोधन/2015, दिनांक 13 फरवरी 2015, पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2, दिनांक 11 दिसंबर 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2/एससी, दिनांक 26 अप्रैल 2016 फा.सं.

पीएनजीआरबी/एयूटीएच/सीजीडी/एएमडी/2018, दिनांक 6 अप्रैल 2018 फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./सीजीडी/एएमडी/2018/2, दिनांक 27 अप्रैल 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./सीजीडी/एएमडी/2018/3, दिनांक 6 नवंबर 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./सीजीडी/एएमडी/2018/4, दिनांक 21 नवंबर 2018, और फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(07)/2020 (पी-884) दिनांक 30 सितंबर 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2021

**F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

### 1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

### 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(a) in regulation 5, in sub-regulation 6, -

(A) in Clause (b),-

(i) for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely;

“(i) entity has constructed either hydrocarbon steel pipelines totaling to a length of not less than three hundred kilometers or which by itself or as one of the consortium partners was authorized by the Board for development of a CGD network; or”;

(ii) for sub-clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which has constructed either hydrocarbon steel pipelines totaling to a length of not less than three hundred kilometer or entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which by itself or as one of the consortium partners was authorized by the Board for development of a CGD network;”

(iii) sub-clause (iii) and sub-clause (iv) shall be omitted;

(B) in regulation 5, sub-regulation 6, clause (f), the following shall be inserted at the end, namely: -

“The company so registered shall comply with the requirement of minimum net worth in respect of the geographical areas under that company as per Regulation 5 (6) (e).”;

(b) In regulation 7, in sub-regulation (1), -

(i) in clause (a), in the Proviso, for the portion beginning with the words, “Provided that”, and ending with the words and dash, “under-”, the following shall be substituted, namely: -

“Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una District; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmour Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal,

Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul and Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, it is not mandatory to supply natural gas through steel-pipes. However, natural gas has to reach in all charge areas. The bidding parameters and their respective weightage will, accordingly, be as under-”;

- (ii) in clause (b), in the Proviso, for the portion beginning with the words, “Provided that”, and ending with the words and dash, “namely:-”, the following shall be substituted, namely :-:

“Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar aDinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the successful bidder shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely :—”.

- (c) In regulation 9, in sub-regulation (1), the following proviso and clarification shall be inserted, namely: -

“Provided that the successful entity, which needs to get itself registered as a company under the Companies Act, 2013 within a period of six months in accordance with the provisions of clause (f) of sub-regulation (6) of regulation 5 shall submit the PBG initially valid for a period of one year and in such case, the PBG shall be renewed, at least three months before expiry of the same, for a further period of three years and so on until the period of authorization.

**Clarification:** It is clarified that reduction in value of PBG to 40% of initial PBG after 100% achievement of the work programme or on expiry of exclusivity from purview of common carrier or contract carrier, whichever is later shall be applicable to all authorised entities irrespective of the year of authorisation.”;

- (d) in regulation 10, in sub-regulation (3), after second proviso the following proviso shall be inserted, namely :

“Provided also that the Board may also accept transfer of authorisation from a wholly owned subsidiary company to its parent company.”;

- (e) in regulation 11, -

- (i) sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be omitted;

- (ii) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :-

“(3) The authorized entity shall achieve the financial closure of the project within a period of two hundred and seventy days from the date of grant of the authorization.”

- (iii) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) The entity shall submit the following to the Board for acceptance of the achievement of the financial closure, namely :-

- (a) The detailed feasibility report (hereinafter referred to as DFR) of the project, incorporating inter-alia, therein the component-wise detailed cost of project, year-wise phasing, financing plan and approval of entity’s board of directors for such purpose ;

- (b) In respect of the project cost planned to be funded by equity capital, (i) resolution of the board of directors of the authorized entity, (ii) resolution of the board of directors of the promoter company committing investment

of equity funding for the project, (iii) firm commitment letter from equity or any other fund, in case the project is proposed to be funded from such fund, and (iv) in case of non-company promoter, a letter committing investment of equity funding for the project, as per the phased source of equity funding proposed in the DFR;

- (c) In respect of the project cost planned to be funded by borrowings, (i) firm sanction order from banks or financial institutions or other lender, (ii) legally binding loan agreement between the authorized entity and promoter or associate or director(s) or lender, as the case may be, for funding through loan;
  - (d) In respect of the project cost planned to be funded from internal accruals of the geographical area or other activities of the authorized entity, year-wise projected cash flows of the geographical area or the other activities of the authorized entity for the duration of proposed funding; and
  - (e) Any other document considered relevant by the entity.”;
- (iv) in sub-regulation (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the Board may condone the delay in achieving the financial closure within 270 days, as specified at sub-regulation (3), after getting satisfied that the reasons of delay submitted by the entity are beyond its control. The onus of proof that reasons are beyond the control of the entity shall be with the entity. Further, any such condonation shall not be for more than 60 days at any single occasion beyond which the entity has to approach the Board again with the request for further consideration.”

- (f) in regulation 12, in sub-regulation (2), -

- (i) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely;

“Provided also that in respect of those geographical areas where designated source of natural gas in the bid is other than from natural gas pipelines, including from an LNG terminal, the third proviso shall not apply.”;

- (ii) “Explanation” shall be numbered as “Explanation 1”, and the following after the explanation so numbered explanation shall be inserted, namely :-

Explanation 2: For the purpose of this sub-regulation, the readiness of CGD networks shall mean any of the following, namely:-

- (a) operation of at least one CNG Station within authorized geographical area, or
- (b) procurement of land for setting up City Gate Station, or
- (c) completing laying of steel pipeline at least to the extent of 10% of the MWP target for the first year, or
- (d) completing laying of MDPE pipeline at least to the extent of 50% of the MWP target of steel pipeline for the first year.

**NOTE: Explanation 2 This will be applicable to all authorized entities irrespective of the year of bidding or authorization ”;**

- (g) In regulation 13, -

- (i) For Sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

(1) “An authorized entity shall provide, on a monthly and yearly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and other relevant information in the formats given at Schedule E for such purpose.”;-

- (h) In regulation 14, -

(i) For Sub-regulation (10), the following shall be substituted namely:-

(10) “An authorized entity shall continue to submit post commissioning information in the formats given at Schedule E for such purpose.”

(i) in regulation 16, after sub regulation (6), the following shall be inserted, namely: -

“(7) The procedure for implementing the termination of grant of authorization of CGD network shall be as provided in Schedule G.”;

(j) in Schedule C (1), in the proviso, for the portion beginning with the words “ Provided that” and ending with the word and dash “below-”, the following shall be submitted namely:-

“Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul and Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below -”.

(k) In Schedule D, in term and condition no. 3, in the third paragraph related to time line for achievement of year-wise work programme within 10 years, for the portion beginning with the word “Alternatively” and ending with the word and column dash “namely: -”, the following shall be substituted namely: -

“Alternatively,

In the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (Except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmaur Districts (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts (iv) Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts, (v) Nainital and Bijnor Districts, (vi) Pauri Garhwal, Uttarkashi, Rudraprayag and Tehri Garhwal Districts, (vii) Pithoragarh, Champawat, Almora, Chamoli and Bageshwar Districts, (viii) Mandi, Kullu, Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts, (ix) Kangra and Chamba Districts and (x) Jammu, Udhampur, Reasi, Samba and Kathua Districts, the entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 10 contract years as per details given below, namely: -”.

(l) in Schedule E, -

(i) for clauses A and B, the following shall be substituted, namely :-

“A: Authorized entity shall submit the reports in formats E1, E2, E3, E4 and E5, as appended below: -

E1 (Monthly) - PNG Connections & Sale (District Wise) ;

E2 (Monthly) - Data of CNG Stations and Sale (Kg & SCM);

E3 (Monthly) - Infrastructure Data (Pipeline and CGS);

E4 (Monthly) - Price Break-up of PNG and CNG;

E5 (Yearly) – Financial Parameters.

B: Timelines for Report Submission: An entity shall submit the Progress Reports in Online Portal for each of the months of January, February, April, May, July, August, October, November within 20 days of the following month and for each of the months of March, June, September, December (Quarter end Months) within 30 days of the following month. The nodal officer appointed by the Entity shall be responsible for submission of correct data in timebound manner.”;

(ii) after the end of Clause E, for the existing Note, the following shall be substituted, namely :

“Note 1: The Board reserves the right to seek any information or data from an entity, as it may deem fit, to satisfy itself to the compliance by the entity at any point of time.

Note 2: It is clarified that due to the technical reasons, the information sought in various formats may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.”

- (iii) after the end of the Note 2 so substituted, for the existing report formats (except E1B), the following report formats E1, E2, E3 and E4 shall respectively be substituted and the existing format E1B shall be renumbered as E5, thereafter, namely:-

E1:

<b>Schedule E: Format: E1 (CGD)</b>		<b>Monthly Report on PNG Connections and Sale</b>				
<b>Type of PNG Connections</b>	<b>Number of Connections (District Wise)</b>			<b>Sale (SCM) (District Wise)</b>		
	<i>As on Previous Month</i>	<i>For the Current Month</i>	<i>Cumulative (Since Inception)</i>	<i>As on Previous Month</i>	<i>For the Current Month</i>	<i>Cumulative (Financial Year)</i>
Domestic						
Commercial						
Industrial						
Total						
<b>PNG Domestic Connections – for the GA</b>						
<i>Pro-rated Target as on current Month</i>	<i>Cumulative as on current Month</i>				<i>Short-fall (%)</i>	
<b>Pending PNG Registration for Connections (Domestic Customers) – GA Wise</b>						
0-30 Days						
31-60 Days						
61-90 Days						
More than 90 Days						
<b>Total Pending PNG Registration for the current Month</b>						

E2:

<b>Schedule E: Format: E2 (CGD)</b>		<b>Monthly Report on CNG Station and Sale</b>				
<b>As on Month &amp; Year</b>	<b>CNG Stations (Nos.)</b>	<b>Compression Capacity (Kg/Day)</b>	<b>For the current Month</b>		<b>Cumulative for current FY</b>	
			<b>Kg</b>	<b>SCM</b>	<b>Kg</b>	<b>SCM</b>
<i>Target</i>						

<i>Achievement</i>						
<i>Short-fall (%)</i>						
<b>CNG Station Code/Number</b>						
Name of CNG Station & Status						
Date of Commissioning						
Full Address of CNG Station						
District				Charge Area		
Latitude & Longitude						
Location of CNG Station						
Type of CNG Station						
Model of CNG Station						
Operated through						
Name of OMC						
Compression Capacity (Kg/24 Hrs)						
Number of Compressors/Boosters						
Number of Dispensing Units						
<b>CNG Station Code</b>	<b>Sale of Natural Gas (Kg)</b>	<b>Conversion Factor</b>	<b>Sale of Natural Gas (SCM)</b>			
CNG Station 1						
CNG Station 2						
CNG Station 3						
CNG Station 4						
And so on.						
Total (Sale)						

E3:

Schedule E: Format: E3 (CGD)		Monthly Report on Pipeline Infrastructure and City Gate Station (CGS)				
		Steel (District Wise)			MDPE (District Wise)	
Unit →	Inch (Dia)	KM (Length)	Inch-KM	Inch (Dia)	KM (Length)	Inch-KM
As on Previous Month	-			-		
For the Current Month	Dia 1			Dia 1		
	Dia 2			Dia 2		
	Dia 3 and so on			Dia 3 and so on		
Cumulative as on Current Month	Total			-		
Steel Pipeline (as applicable) - GA			Steel & MDPE Pipeline (as applicable) - GA			
Target	Cumulative	Short-fall	Target	Cumulative	Short-fall	
<b>Infrastructure – City Gate Station (CGS)</b>						
CGS Location (Address) including Longitude, Latitude						
Tap-off Location (Address) including Longitude, Latitude						
In case Tap-off Location is outside authorized GA						
Details of Sub-transmission Pipeline (Inch-KM)						
Name of Pipeline Entity						
Hook-up Agreement Executed on						
CGS Commissioned on						
Capacity of CGS (SCMH)						

E4-

Schedule E: Format: E4 (CGD)		Monthly Report on PNG and CNG Price	
<b>PNG Domestic (Price) - (₹/SCM) – District/State Wise</b>			
Last Price Revision on (Date)			
Retail Selling Price excluding Levies/Taxes (₹/SCM)			
Retail Selling Price including Levies/Taxes (₹/SCM)			
<b>CNG (Price) - (₹/KG) – District/State Wise</b>			
Last Price Revision on (Date)			
Retail Selling Price excluding Levies/Taxes (₹/KG)			
Retail Selling Price including Levies/Taxes (₹/KG)			

Provided that the Board may seek any further information in this regard.”;

(m) in Schedule G, for the words, figures, brackets and letter, “see regulation 16 (1) (d)” the following shall be substituted, namely : -

“see regulation 16(7)”

(n) For Schedule K, the following Schedule shall be substituted, namely: -

**“Schedule-K**

[See regulation 5(6)(e) and (i)]

**Methodology for Computation of Net Worth**

Serial Number	Type of Entity	Net Worth Calculation
1	In case of a Company	As per method 1
2	In case of Cooperative Society	As per method 1 <i>Mutatis Mutandis</i>
3	In case of a Joint Venture Company	Consolidated net worth (as per method 1) of those promoter companies shall be considered which provide support through their Corporate Guarantee in the format as specified in Appendix III
4	In case of a subsidiary company	Consolidated net worth of holding company shall be considered (to be computed as per Method 1), if supported by Corporate Guarantee from that holding company.
5	Other entities	As per method 2
6	Unincorporated consortium or unincorporated joint venture of	
	a) Companies	As per method 1
	b) Others	As per method 2 for non-company consortium member and as per method 1 for company consortium member.
7	In case company is promoted by individual promoters	Net worth of the company shall be computed as per Method 1. If supported by the guarantee from the individual promoter, net worth of individual promoter shall be included and computed as per Method 2.

**Methodology for net worth computation under Method 1:**

Net worth shall be computed as defined in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013.

**Methodology for Net Worth Computation under Method 2:**

By valuation of assets on the following basis, namely :-

1. Investments in the name of the applicant (Detailed list to be enclosed)
  - (a) Securities listed and quoted in Stock Exchange
    - (i) Market value as on .....
    - (ii) Margin of 30% on market value as on date specified in sub-clause (i);
    - (iii) Net value of listed securities specified in sub-clauses (i) and (ii).
  - (b) Unlisted Securities

- (i) Value as on ..... (Value to be computed as per Note 1. below)
- (ii) Margin of 50% on value as per sub clause (i);
- (iii) Net value of unlisted securities specified in sub-clauses (i) and (ii).
- (c) Other investments like PPF, NSC, bank deposits, company deposits and like other deposits , at current value;
- (d) Total Net Investments= (a) (iii) + (b) (iii) + (c)
- 2. Land and building component of the fixed assets (full details of such assets like survey number, location, address, extent of land and building to be furnished) and-
  - (i) Market value (to be computed as per Note 2. below);
  - (ii) Margin of 50% on market value specified in sub-clause (i);
  - (iii) Net value of such fixed assets specified in sub-clauses (i) and (ii).
- 3. Debtors outstanding for not more than 3 months + cash and bank balances.
- 4. Current Liabilities.
- 5. Long term liabilities.
- 6. Net worth= 1.(d) + 2.(iii) + 3. – (4. + 5.).

## Notes:

1. Valuation of unlisted securities would be at “fair value” of the said securities, that is to say the average of the “break-up value” and the “earning value” and for this purpose, -
  - (a) the “break-up value” means the paid-up equity share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account as reduced by the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off as per the latest audited balance sheet, but not including reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation, divided by the number of equity shares of the investee company.
  - (b) the “earning value” means the value of an equity share computed by taking the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra-ordinary and non-recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate, namely: -
    - (i) In case of predominantly manufacturing company, eight percent;
    - (ii) In case of predominantly trading company, ten percent;
    - (iii) In case of any other company, including an NBFC, twelve percent; and
    - (iv) If, an investee company is a loss-making company, the earning value will be taken at zero.
2. Valuation of fixed assets for the purpose of net worth shall be certified by Government approved valuers as per Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. The valuation shall not be more than 6 months old on the date of submission of the bid. Further, the valuation shall be capped at Circle Rate. Only those items of land and building that are in the name of the entity or proprietor shall be included under the head at sl. No. 2 above that is to say, Land and building component of the fixed assets. Those properties that are taken on lease shall not be included for computation of net worth. Fixed assets other than Land and Building shall not be included for the purpose of computation of net worth.
3. Details of items comprising investments, current assets, current liabilities and long-term liabilities shall be given separately.
4. Current assets should exclude loans to related entities, bad and doubtful debts and debts outstanding for more than 3 months, advance against capital assets, pledged securities or assets, prepaid expenses and also intangible assets.
5. Valuation of properties will be net of encumbrances with details of loan and other encumbrances, if any. Details of encumbrances, including ‘nil’ encumbrance, shall be supported by a certificate by the entity.
6. Company includes limited, private limited and limited liability partnerships (LLP).

7. In case the bidder is supported by an equity fund, net-worth shall be lower of assets under management of the equity fund and the amount of support by a legally binding document for supporting the entity to achieve the work program.
8. In case of a bid submitted by a consortium, net worth of only those consortium members would be considered which have at least 11% stake in the consortium:  
 Provided that, when the Consortium is converted into a company registered under the Companies Act, 2013 as required by clause(f) of sub-regulation (6) of regulation 5 relating to CGD Authorisation, each of such member should hold not less than 11% shareholding in the company and shall continue to hold not less than 11% shareholding in the company till exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier.
9. In case an entity bids for more than one GA and if the net worth of the bidder as calculated by the Board is lower than the cumulative net worth required as per Regulation clause(e) of sub-regulation (6) of regulation 5 relating to CGD Authorization, then the bidder shall be considered to be qualified for certain GAs in the following order, unless specified otherwise by the bidder:  
 First the GA having the highest population amongst the GAs bid by the entity.  
 Thereafter, GA bid by the entity would be considered in the same sequence as these are appearing in List of GAs open for bidding published by the Board, provided the remaining net worth of the bidder is more than the minimum net worth requirement of the GA at next serial number else GA at subsequent serial number and so on shall be considered. This process shall continue till net worth of the bidder as calculated by the Board is available.
10. Any certificate submitted along with the bid certified by a Chartered Accountants shall be considered only if accompanied by the Unique Document Identification Number (UDIN) generated on the UDIN portal of The Institute of Chartered Accountants of India.
11. In case of bidding by unincorporated consortium, cross investment or holdings amongst the consortium partners will not be counted for the purpose of net worth evaluation.
12. If the net worth criteria is fulfilled considering assets of any person other than a company, an affidavit should also be enclosed along with the net worth certificate, that all the assets considered in the net worth certificate are free from any encumbrance, charge, lien and liability and are owned and are in absolute control or possession of that person. Wherever there is any encumbrance or charge or lien or liability, the outstanding amount of loan or liability shall be reduced from the value of the asset against which such loan or liability exists. Further, any Income Tax demand or liability against the entity or any consortium partner should also be reduced from the assets, while calculating the net worth.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./249/2021-22]

**Foot Note:** Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196 (E), dated 19<sup>th</sup> March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E), dated 19<sup>th</sup> November, 2008, G.S.R. 295 (E), dated 30<sup>th</sup> April, 2009, G.S.R. 478(E), dated 7<sup>th</sup> June, 2010, G.S.R. 605 (E), dated 19<sup>th</sup> July, 2010, F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III, dated 21<sup>st</sup> June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated, 7<sup>th</sup> April, 2014, F. No. L-MISC/VI/ I/2007, dated 1<sup>st</sup> January, 2015, F. No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015, dated 13<sup>th</sup> February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2, dated 11<sup>th</sup> December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2/SC, dated 26<sup>th</sup> April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/CGD/Amd/2018, dated 6<sup>th</sup> April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2, dated 27<sup>th</sup> April 2018, F. No. PNGRB/ Auth./CGD/Amd/2018/3, dated 6<sup>th</sup> November 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4, dated 21<sup>st</sup> November 2018, and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884), dated 30<sup>th</sup> September 2020.